# HRA AN USIUS The Gazette of India

असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 106] No. 106] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 2007 /फाल्गुन 23, 1928

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 2007/PHALGUNA 23, 1928

वित्त मंत्रालय

( आर्थिक कार्य विभाग )

(भारतीय रिज़र्व बैंक)

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

# अधिसूचना

मुम्बई, 4 जनवरी, 2007

# सं. फेमा 151/2007-आरबी

सा.का.नि. 196(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ब) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 8/2000-आरबी) में भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :-
  - (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (संशोधन) विनियमावली, 2007 कहलाएंगे ।
  - (ii) ये नवम्बर 17, 2006@ से लागू होंगे।
- 2. विनियमावली में संशोधन :-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 (मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 8/2000-आरबी) में, विनियम 4 में, उप-विनियम (3) में खंड (iii) के बाद निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

''(iv) किसी अनिवासी सेवा प्रदान करने वाले के पक्ष में, किसी निवासी ग्राहक, जो सेवा आयातक है की ओर से, 100,000 अमरीकी डॉलर या उसके समकक्ष राशि तक ।''

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-ख्रंड-IV]

सलीम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी : (i) @ यह प्रमाणित किया जाता है कि इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी पर कोई प्रतिकृल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ii) मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के सा.का.नि. 391(अ) में भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई है और तत्पश्चात् अगस्त 19, 2002 के सा.का.नि. 575(अ), नवम्बर 16, 2004 के सा.का.नि. 745(अ) और फरवरी 9, 2005 के सा.का.नि. 61(अ) द्वारा संशोधित की गई है।

# MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(RESERVE BANK OF INDIA)

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

### NOTIFICATION

Mumbai, the 4th January, 2007

### No. FEMA 151/2007-RB

G.S.R. 196(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) of Sub-section (3) of Section 6 and Sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India makes the following amendments to the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 8/2000-RB dated May 3, 2000), namely:—

### Short title and commencement:—

- (i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Guarantees) (Amendment) Regulations, 2007.
- (ii) They shall come into force from November 17, 2006.@

# 2. Amendment of the Regulations:-

In the Foreign Exchange Management (Guarantees) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 8/2000-RB dated May 3, 2000). in regulation 4, in Sub-regulation (3), after clause (iii), the following new clause shall be inserted, namely:—

"(iv) in tayour of an non-resident service provider, on behalf of a resident customer who is a service importer, for an amount up to USD 100,000 or its equivalent."

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-Charge

Foot Note: (i) (a Certified that no person would be adversely affected as a result of retrospective effect given to the notification.

(ii) The Principal regulations were published in the Official Gazette vide No. G.S.R. 391(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended vide No. G.S.R. 575(E) dated August 19, 2002, No. G.S.R. 745(E) dated November 16, 2004 and No. G.S.R. 61(E) dated February 9, 2005.